Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Water Resources, RD & GR
Central Water Commission
(Estt-I Section)

3rd Floor, Sewa Bhawan,
R.K.Puram, New Delhi 66
Dated: 4th November, 2024

CIRCULAR

Subject: Vacancy Circular for 02 (Two) Statutory posts of Brahmaputra Board - regarding.

DoWR, RD & GR, MoJS vide letter No. A. 12034/11/2021-E-III/472-473 dated 14.10.2025 have invited applications for filling up the 02 (two) Statutory posts of Brahmaputra Board. Details of the posts, eligibility conditions etc. are contained in the said Circular.

S. No.	Name of the Post	Pay Scale as Per 7th CPC	No. of Posts
1.	Finalcial Advisor	Level-14 (₹ 144200-218200)	01
2.	Chief Engineer (Level-II)	Level-13A (₹ 131100-216600)	01

Applications complete in all respects of willing and eligible officers may be sent through proper channel (with the approval of Controlling Officer) and with the concurrence of concerned Member, CWC to Establishment-I Sections in CWC, within 30 days from the date of publication of advertisement in Employment News, for onward transmission to DoWR, RD & GR being Cadre Controlling Authority.

Officers willing to submit their application must ensure that their updated Bio-Data is available on CWC website. It may also be noted that this circular is for inviting the applications, however forwarding of applications to the borrowing organization would be subject to decision of the Competent Authority.

(Narinder Kumar)
Under Secretary (Estt-I), CWC
Tel.No. 011-29583344

Copy to: All Central Water Engineering Group 'A' Officers through CWC's Website

Digitally signed by
Narinder Kumar
Date: 04-11-2025
17:32:57

No. A. 12034/11/2021-E-III

भारत सरकार
Government of India
जल शक्ति मंत्रालय
Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, dated: 14th October, 2025

CIRCULAR

Subject: Vacancy Circular for 02 (two) Statutory posts of Brahmaputra Board - regarding.

The Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation) invites applications for the following positions in the Brahmaputra Board, Guwahati, which is a Statutory Body, under this Department, immediately:

S.No.	Name of Post	Pay Level under 7th Pay Commission	Posts
1	Financial Adviser	L-14 (Rs.144200-218200/-)	1
2	Chief Engineer (Level-II)	L-13A (Rs.131100-216600)	1

2. Details of these posts along with its eligibility criteria for each posts are given in the Annexure-1 to 3 of this Circular.

3. Appointment on deputation basis in respect of a serving Central Government Officer will attract benefits as provided under the Department of Expenditure's O.M. No. 11(2)/97-E.II(B), dated 22.09.1998, O.M. No. 11(6)/2008-E.II(B), dated 02.04.2013 and O.M. No. 28/1/2017-E.II(B), dated 14.08.2018, as amended from time to time.

4. In respect of applicants borne in the Cadre of Central Water Engineering(Group-A) Service of this Department, the period of appointment on deputation basis in the Brahmaputra Board shall be counted as "Field Experience" for consideration of their promotion in the SAG of the same service.

5. All organizations are hereby requested to give wide publicity to this Circular among their officers and nominate eligible and willing officers for consideration of appointment in the aforementioned posts, to **Shri Ravi Ranjan, Room No 635, Under Secretary, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001**, **within 45 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment News.

R Ranjan

(Ravi Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23716928

To

1. **The Secretaries of all Ministries/ Departments of Govt. of India.**
2. **Chief Secretaries of all State Govts./ UT Administrations.**
3. **All Organisations under Department of WR,RD&GR.**

Annexure-1

Details of eligibility criteria for the post of Financial Adviser are mentioned below-

Post-1: Financial Adviser

Applications are invited for filling up of the one (01) post of Financial Adviser in the Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The Financial Adviser shall be under the administrative control of the Board. He shall advise the Board on all matters relating to revenue and expenditure. He shall have the right to refer to the Board any matter which in his opinion ought to be brought to its notice. He shall be responsible for the maintenance of the accounts of the Board and conduct internal audit of these accounts. He shall also exercise such powers and duties as prescribed in the rule 16 of the subordinate legislation under the Brahmaputra Board Act, 1980.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including short-term contract):

Officers in the Central Government or State Governments or Union territory administrations:

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) holding a post in level-13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600) or equivalent with two years regular service, in the grade; or

(iii) holding the post in level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or equivalent with three years regular service, in the grade;
and

(b) Possessing the following educational qualification and experience, namely:-
Degree in Commerce or Economics from a recognised University or Institute.

Desirable qualifications:

(i) Qualified Chartered Accountant or Cost Accountant or Master of Business Administration with specialization in Finance with fifteen years experience in handling corporate accounting and corporate finance matters, in the Central Government or State

Governments or public sector undertakings or statutory or autonomous organizations under the Central Government or a State Government or Union territory administrations.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.

5. AGE: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.

6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.

7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

9. Applications with full particulars of the applicant in **Annexure- 3** should reach to Shri Ravi Ranjan, Room No 635, Under Secretary, Department of Water Resources, RD & GR, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110 001 **within 45 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.

10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/documents should be as per the proforma in **Annexure- 3.**

1.	Name of Post	:	Financial Adviser, Brahmaputra Board
2.	Number of Posts	:	01 (one)
3.	Classification	:	Group 'A', Non-Ministerial
4.	Pay Band	:	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-)
5.	Grade Pay	:	
6.	Period of deputation	:	The period of deputation including period of

			deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.
7.	Duties and responsibilities of the post	:	The Financial Adviser shall be under the administrative control of the Board. He shall advise the Board on all matters relating to revenue and expenditure. He shall have the right to refer to the Board any matter which in his opinion ought to be brought to its notice. He shall be responsible for the maintenance of the accounts of the Board and conduct internal audit of these accounts. He shall also exercise such powers and duties as prescribed in the rule 16 of the subordinate legislation under the Brahmaputra Board Act, 1980.
8.	Pay & Allowances	:	The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
9.	Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post	:	**Deputation (including short-term contract):** Officers in the Central Government or State Governments or Union territory administrations: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding a post in level-13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600) or equivalent with two years regular service, in the grade; or (iii) holding the post in level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or equivalent with three years regular service, in the grade; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- Degree in Commerce or Economics from a recognised University or Institute. **Desirable qualifications:**

			(i) Qualified Chartered Accountant or Cost Accountant or Master of Business Administration with specialization in Finance with fifteen years experience in handling corporate accounting and corporate finance matters, in the Central Government or State Governments or public sector undertakings or statutory or autonomous organizations under the Central Government or a State Government or Union territory administrations. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.
10.	Age		The maximum age-limit for appointment by deputation or short term contract shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.

Annexure-2

Details of eligibility criteria for the post of Chief Engineer-II are mentioned below-

Post-2: CHIEF ENGINEER (Level-II)

Applications are invited for filling up the 01 (one) post of Chief Engineer (Level-II) in the Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100 – 2,16,600/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The Chief Engineer-II is the one of the main constituents of Brahmaputra Board, who acts as subordinate to the General Manager, the Chief Executive Authority of the Board. It is a key post responsible for implementation/ execution of all schemes/ works taken up by Brahmaputra Board through the field Circles/ Divisions. The work mainly includes execution of Drainage Development scheme, Anti-erosion schemes, Raised Platforms, Running and maintenance of assets etc. As Chief Engineer-II, he will monitor all works for timely execution without financial over run. He is authority to accord technical sanction of all works to be undertaken under him. He is also the technical head of all works undertaken.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

By Deputation (including short-term contract):
Officers of the Central Government or State Government or Union territory administrations or state electricity boards or public sector undertakings or statutory organisations or autonomous bodies or universities or recognised research institutions:

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) holding the post in level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900/-) in the pay matrix with two years regular service in the grade; or
(iii) holding the post in level-12 (Rs.78,800-2,09,200/-) in the pay matrix with six years regular service in the grade; and

(b) possessing the Bachelor Degree in Civil Engineering from a recognised University.

Desirable:

Working experience for three years in the field of Water Resources Management.

Note- The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

5. AGE:

The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.

6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.

7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

9. Applications with full particulars of the applicant in **Annexure- 3** should reach to Shri Ravi Ranjan, Room No 635, Under Secretary, Department of Water Resources, RD & GR, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110 001 **within 45 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.

10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/documents should be as per the proforma in **Annexure- 3.**

1.	Name of Post	:	Chief Engineer (Level-II), Brahmaputra Board, a statutory body
2.	Number of Posts	:	01 (one)
3.	Classification	:	Group 'A', Non-Ministerial
4.	Pay Band	:	Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100 – 2,16,600/-)
5.	Grade Pay	:	Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100 –

			2,16,600/-)
6.	Period of deputation	:	The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
7.	Duties and responsibilities of the post	:	The Chief Engineer (Level-II) is the one of the main constituents of Brahmaputra Board, who acts as subordinate to the General Manager, the Chief Executive Authority of the Board. It is a key post responsible for implementation/ execution of all schemes/ works taken up by Brahmaputra Board through the field Circles/ Divisions. The work mainly includes execution of Drainage Development scheme, Anti-erosion schemes, Raised Platforms, Running and maintenance of assets etc. As Chief Engineer-II, he will monitor all works for timely execution without financial over run. He is authority to accord technical sanction of all works to be undertaken under him. He is also the technical head of all works undertaken.
8.	Pay & Allowances	:	The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
9.	Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post	:	**By Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union territory administrations or state electricity boards or public sector undertakings or statutory organisations or autonomous bodies or universities or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900/-) in the pay matrix with two years regular service in

		the grade; or (iii) holding the post in level-12 (Rs.78,800-2,09,200/-) in the pay matrix with six years regular service in the grade; and (b) possessing the Bachelor Degree in Civil Engineering from a recognised University. **Desirable:** Working experience for three years in the field of Water Resources Management. Note- The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.
10.	Age	The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.

Annexure-3

Bio Data Proforma

1. Name and address (in Block Letters) :
 Telephone Number :
2. Date of Birth (in Christian era) :
3. Date of retirement under Central Government Rules:
4. Educational Qualifications:
5. Whether educational and other qualifications required for the posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to those prescribed in the rules, state the authority for the same)

Qualifications / Experience Required	Qualifications / Experience possessed by the Officer
Essential	
Desirable	

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.
7. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

Office/Institution/ organisation	Post held and service / cadre to which it belongs	From	To	Pay in the pay band and classification of post	Nature of duties

8. Nature of present employment, i.e.,

i. Ad-hoc basis
ii. Regular / on temporary basis
iii. Pay in the Pay Band
iv. Grade Pay drawn

9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state:

a. The date of initial appointment
b. Period of appointment on deputation/contract
c. Name of the parent office/organisation to which you belong

10. Additional details about present employment. Please state whether working under:

a. Central Government
b. State Government
c. Autonomous organisation
d. Government Undertaking
e. Universities

11. Are you in the Revised Pay Structure? If yes, give the Date from which the revision took place and also Indicate the pre-revised scale
12. Total emoluments per month now drawn:
13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.
14. Whether belonging to SC/ST
15. Remarks

Signature of the candidate

Date :

It is certified that information furnished by the applicant is verified with his / her service record and found correct.

Countersigned with office seal by the authorized signatory of the parent office

Signature of the Competent Authority

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

Certified that no vigilance case or disciplinary proceedings or criminal proceedings is either pending or contemplated against Dr./Shri/Smt./Ms....., who has applied for the post of _____ in the _____ on deputation basis.

(Authorised signatory)
Name & Office Seal :
Date:

NO PENALTY CERTIFICATE

Certified that no minor/major penalty has been imposed during the last ten years on Dr./Shri/Smt./Ms....., who has applied for the post of _____ in the _____ on deputation basis.

(Authorised signatory)
Name & Office Seal :
Date:

INTEGRITY CERTIFICATE

After scrutinizing Annual Confidential Report of Dr./Shri/Smt./Ms....., who has applied for the post of _____ in the _____ on deputation basis, it is certified that his/her integrity is beyond doubt.

(To be signed by an officer of the rank of Deputy Secretary or above)
Name & Office Seal :
Date:

सं. ए 12034/11/2021-ई-III /4726473

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक : 14th अक्टूबर, 2025

परिपत्र

विषय:- ब्रह्मपुत्र बोर्ड में 02 (दो) सांविधिक पदों के रिक्ति परिपत्र से संबंधित:

जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग) इस विभाग के आधीन ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहटी, एक सांविधिक निकाय, में तत्काल आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:

क्र. सं.	पद का नाम	7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन	पद
1.	वित्तीय सलाहकार	स्तर- 14 (रुपए 144200-218200/	1
2.	मुख्य अभियंता (लेवल-II)	स्तर- 13 ए (रुपए 131100-21660	1

2. इस परिपत्र के अनुलग्नक 1 से 3 में इन पदों के विवरण सहित प्रत्येक पद की योग्यता का मापदंड दिया गया है।

3. सेवारत केन्द्र सरकार कर्मचारियों के संबंध में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के संबंध में दिए जाने वाले लाभ समय –समय पर यथासंशोधित व्यय विभाग के दिनांक 22.9.1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11 (2)/97-ई.II (बी), दिनांक 2.4.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11 (6)/2008-ई.II (बी) और दिनांक 14.8.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28(1)/2017-ई.II (बी) के अंतर्गत प्रदान किए जायेंगे।

4. इस विभाग के केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह-ए) संवर्ग में आने वाला आवेदनकर्ताओं के संबंध में ब्रह्मपुत्र बोर्ड में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अवधि को उसी सेवा में एसएजी में उनकी पदोन्नति पर विचार करने के लिए "फील्ड अनुभव" माना जायेगा।

5. सभी संगठनों से उनके कार्यालयों में इस परिपत्र के व्यापक प्रचार करने और उपर्युक्त पदों की नियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए योग्यता प्राप्त और इच्छुक अधिकारियों को नामांकित करने का अनुरोध किया जाता है। इस परिपत्र के रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तारिख से **45 दिनों के भीतर**, आवेदन, **श्री रवि रंजन, कमरा न. 635, अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001** को भेजे जा सकते हैं।

रविरंजन

(रवि रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
ईमेल: use3-mowr@gov.in

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यि सचिव।
3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत सभी संगठन प्रमुख।

अनुलग्नक-I

1. <u>पद-1 वित्तीय सलाहकार</u>

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संसद के अधिनियम (1980 का 46) के अंतर्गत सांविधिक निकाय ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर लेवल-14 (1,44,200- 2,18,200/-) रूपए में वित्त सलाहकार का (01) एक पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य के संक्षिप्त दायित्व

वित्त सलाहकार बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा। वह राजस्व और व्यय से संबंधित सभी मामलों पर बोर्ड को सलाह देगा। उसके पास किसी भी मामले को जिसे वह बोर्ड के ध्यान में लाना अपेक्षित समझे, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। बोर्ड के लेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी उसकी होगी और वह इन लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा करेगा। वह ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के तहत अधीनस्थ विधान के नियम 16 में निर्धारित ऐसी शक्तियों और कार्यों को भी करेगा।

3. पात्रता मानदंड

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में कार्यरत ऐसे अधिकारी:
(क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए है; अथवा
(ii) वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 क (रु .131100-216600) में या उसके समतुल्य पद धारण किया हो और उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा दी हो; और
(iii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 (रु .123100-215900 या उसके समतुल्य पद धारण किया हो और उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा दी हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो अर्थात्-:
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र में डिग्री।

वांछनीय अर्हताएं:

वित्त में विशेषज्ञता या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उत्तीर्ण होने के साथ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन वैधानिक या स्वायत्त संगठनों में कॉर्पोरेट लेखांकन और कॉर्पोरेट वित्त मामलों को संभालने में पंद्रह वर्ष का अनुभव।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि संविदा सहित) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि संविदा सहित) सहित 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. **आयु-** प्रतिनियुक्ति या अल्प अवधि संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त कर दे।

8. चयनित अधिकारी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-ii) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत करवाने का विकल्प होगा।

9. **अनुलग्नक-3** में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन के रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से **45 दिन के अंदर श्री रवि रंजन, कमरा न. 635, अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001** को पहुंच जाना चाहिए। सभी आवेदकों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण ब्यौरे से रहित आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।

10. सिर्फ ऐसे अधिकारियों/अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) दिए गए प्रपत्र में जीवन वृत (चार प्रति) (ii) कम से कम अवर सचिव श्रेणी के अधिकारी से सत्यापित विगत पाँच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) सतर्कता स्वीकृति (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान, अधिकारी पर लगाई गई, बड़ी या छोटी शास्ति यदि कोई हो,का ब्यौरा और (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो। सभी अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज **अनुलग्नक-3** में दिए गए प्रारूप के अनुसार होने चाहिए।

1	पद का नाम	वित्त सलाहकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड
2	पदों की संख्या	01 (एक)
3	वर्गीकरण	समूह 'क' नॉन-मिनिस्टीरियल
4	वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन	लेवल-14 (1,44,200-2,18,100/-)
5	ग्रेड वेतन	
6	प्रतिनियुक्ति की अवधि	प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) केन्द्र सरकार के समान अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग ने इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7	पद के कर्तव्य एवं दायित्व	वित्त सलाहकार बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा। वह राजस्व और व्यय से संबंधित सभी मामलों पर बोर्ड को सलाह

		देगा। उसके पास किसी भी मामले को जिसे वह बोर्ड के ध्यान में लाना अपेक्षित समझे, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। बोर्ड के लेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी उसकी होगी और वह इन लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा करेगा। वह ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के तहत अधीनस्थ विधान के नियम 16 में निर्धारित ऐसी शक्तियों और कार्यों को भी करेगा।
8	वेतन एवं भत्ते	चयनित अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन-।।) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा।
9	पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं, अनुभव और पात्रता	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में कार्यरत ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए है; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 क (रु .131100-216600) में या उसके समतुल्य पद धारण किया हो और उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा दी हो; और (iii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 (रु .123100-215900 या उसके समतुल्य पद धारण किया हो और उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा दी हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो अर्थात्-: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र में डिग्री। **वांछनीय अर्हताएं:** वित्त में विशेषज्ञता या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उत्तीर्ण होने के साथ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन वैधानिक या स्वायत्त संगठनों में कॉर्पोरेट लेखांकन और कॉर्पोरेट वित्त मामलों को संभालने में पंद्रह वर्ष का अनुभव।
10	आयु	प्रतिनियुक्ति या अल्प अवधि संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुलग्नक-2

मुख्य अभियंता-।। के पद के लिए पात्रता मानदंड का विवरण नीचे उल्लिखित है-

पद-2: मुख्य अभियंता (लेवल-II)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग,जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांवधिक निकाय-ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13ए, (1,31,100 रूपए -2,16,600/-रूपए) में मुख्य अभियंता (लेवल-II) के 01 (एक) पद को भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य दायित्व का संक्षिप्त विवरण:

मुख्य अभियंता (लेवल-II) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के प्रमुख घटकों में से एक है जो बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक के अधीनस्थ के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी फील्ड सर्कल्स/डिवीजनों के माध्यम से ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजना/कार्यों का कार्यान्वयन/निष्पादन करना है। इसके प्रमुख कार्यों में निकासी विकास योजनाओं कटावरोधी योजनाओं का कार्यान्वयन प्लेटफॉर्म को ऊपर उठाना परिसंपत्तियों को कार्य रखना और उनका अनुरक्षण इत्यादि करना शामिल है। मुख्य अभियंता (लेवल-।।) के रूप में वह सभी कार्यों में बिना किसी आर्थिक हानि के समय से कार्यों के निष्पादन हेतु निगरानी करेंगे। वह अपने द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों को तकनीकी स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत होंगे। शुरू किए गए सभी कार्यों के लिए वह तकनीकी प्रमुख होंगे।

3. पात्रता मानदंड:

प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या राज्य बिजली बोर्ड या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या क़ानूनी संगठन या स्वायत्त निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -13 (1,23,100-2,15,900/- रुपये) में पद धारण किए हों तथा ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा किए हों; या

(iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (78,800-2,09,200/- रुपये) में पद धारण किए हों तथा ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा किए हों; तथा

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त हो।

वांछित:

जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में तीन वर्ष का कार्य अनुभव।

टिप्पणीः फीडर ग्रेड में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए भी पात्र नहीं होंगे।

4. <u>प्रतिनियुक्ति की अवधि:</u>

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. <u>आयु:</u>

प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की अर्हक सेवा/अनुभव और आयु निर्धारण की अंतिम तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

7. किसी भी अधिकारी को चयन के पश्चात आवेदन वापस लेने अथवा कार्य भार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।

8. चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।

9. **अनुलग्नक-3** में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन के रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से **45 दिन के अंदर श्री रवि रंजन, कमरा न. 635, अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001** को पहुंच जाना चाहिए। सभी आवेदकों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण ब्यौरे से रहित आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।

10. सिर्फ ऐसे अधिकारियों/अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) दिए गए प्रपत्र में जीवन वृत (चार प्रति) (ii) कम से कम अवर सचिव श्रेणी के अधिकारी से सत्यापित विगत पाँच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) सतर्कता स्वीकृति (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान, अधिकारी पर लगाई गई, बड़ी या छोटी शास्ति यदि कोई हो,का ब्यौरा और (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो। सभी अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज **अनुलग्नक-3** में दिए गए प्रारूप के अनुसार होने चाहिए।

1.	पद का नाम	मुख्य अभियंता (लेवल-II), ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सांविधिक निकाय
2.	पदों की संख्या	01 (एक)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क', अनुसचिवीय
4.	वेतन बैंड	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13ए, (1,31,100 रूपए - 2,16,600/-रूपए)
5.	ग्रेड वेतन	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13ए, (1,31,100 रूपए - 2,16,600/-रूपए)
6.	प्रतिनियुक्ति की अवधि	प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्र

			सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7.	पद के दायित्व एवं जिम्मेदारी		मुख्य अभियंता (लेवल-II) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के प्रमुख घटकों में से एक है जो महाप्रबंधक, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी के अधीनस्थ के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी फील्ड सर्कल्स/डिवीजनों के माध्यम से ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजना/कार्यों का कार्यान्वयन/निष्पादन करना है। इसके प्रमुख कार्यों में ड्रेनेज विकास योजनाए कटावरोधी योजनाओं का कार्यान्वयन प्लेटफॉर्म को ऊंचा करना परिसंपत्तियों को कार्य में लगाए रखना और उनका अनुरक्षण इत्यादि करना शामिल है। मुख्य अभियंता-।। के रूप में वह सभी कार्यों में बिना किसी आर्थिक हानि के समय से कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेंगे। वह अपने द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों को तकनीकी स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत होंगे। वह शुरू किए गए सभी कार्यों के लिए वह तकनीकी प्रमुख होंगे।
8.	वेतन एवं भत्ते		चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।
9.	पद के लिए अपेक्षित योग्यता और पात्रता		केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या राज्य बिजली बोर्ड या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या क़ानूनी संगठन या स्वायत्त निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -13 (1,23,100-2,15,900/- रुपये) में पद धारण किए हों तथा ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा किए हों; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (78,800-2,09,200/- रुपये) में पद धारण किए हों तथा ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा किए हों; तथा

			(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त हो। **वांछित:** जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में तीन वर्ष का कार्य अनुभव। टिप्पणीः फीडर ग्रेड में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए भी पात्र नहीं होंगे। किसी भी अधिकारी को चयन के पश्चात आवेदन वापस लेने अथवा कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।
10.	आयु		प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुलग्नक-3

जीवन-वृत्त प्रपत्र

1. नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)
 टेलीफोन नंबर :

2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में):

3. केन्द्र सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख:

4. शैक्षिक योग्यताएं:

5. क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)।

अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव	**अधिकारी की योग्यताएं/ अनुभव**
अनिवार्य	
वांछित	

6. कृपया स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षाएं पूरी करते हैं।

7. कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यौरे (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हैं तो अपने हस्ताक्षर द्वारा भली-भांति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें।)

कार्यालय/संस्था/संगठन	धारित पद और सेवा/ कैडर जिससे यह संबंधित है	कब से	कब तक	वेतन बैंड में वेतन और पद का वर्गीकरण	दायित्वों का स्वरूप

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात,
 (i) तदर्थ
 (ii) स्थाई/अस्थाई आधार पर
 (iii) वेतन बैंड में वेतन
 (iv) आहरित ग्रेड वेतन

9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें
 (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
 (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि
 (ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम

10. वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण। कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं:
 (क) केन्द्र सरकार
 (ख) राज्य सरकार
 (ग) स्वायत्त संगठन
 (घ) सरकारी उपक्रम
 (ङ) विश्वविद्यालय

11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें

12. वर्तमान में आहरित कुल मासिक परिलब्धियां:

13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेखित करना चाहते हों । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें।

14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं

15. अभ्युक्तियां

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर ली गई है और सही पायी गयी है।

मूल कार्यालय के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रति हस्ताक्षर मोहर सहित

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्री.....जिन्होंने ---------- --------- में प्रतिनियुक्ति आधार पर ---------- के पद के लिए आवेदन किया है, के विरूद्ध न तो कोई सतर्कता निकासी अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक कार्रवाई लंबित है और न ही शुरू किए जाने का विचार है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम और कार्यालय की मोहर
दिनांक :

-

शास्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्री.....जिन्होंने ---------- ------- में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ---------- के पद के लिए आवेदन किया है, पर पिछले 10 वर्षों में कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगायी गयी है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम और कार्यालय की मोहर
दिनांक :

-

सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र

डा./श्री/श्रीमती/सुश्री.....जिन्होंने ----------में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ---------- के पद के लिए आवेदन किया है, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा में कोई संदेह नहीं है।

(उपसचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर के
अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)
नाम और कार्यालय की मोहर:
दिनांक :